भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1642

जिसका उत्तर बुधवार 30 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

"नेट्रिप (एनएटीआरआईपी) में नियुक्तियां"

1642. श्री मेघराज जैन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर. एंड डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) में वरिष्ठ पदों पर की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन नियुक्तियों को करने के लिए अपनाई गई नीति और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों में नेट्रिप को उपलब्ध कराए गए अनुदान के माध्यम से कुल कितनी निधि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार को इन निधियों के उपयोग में अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान उच्च पदों पर निम्नलिखित नियुक्तियां की गईं:-

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक (सीईओ एंड पीडी), नेटिस।

(ii) निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), नेटिस।

(ख): मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक (सीईओ एंड पीडी), नेटिस के पद का विज्ञापन अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों और भारी उद्योग विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की वेबसाइट्स पर दिया गया था। छांटे गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उनका साक्षात्कार लिया गया था तथा मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से अंतिम चयन किया गया था।

निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), नेटिस के पद का विज्ञापन अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों और भारी उद्योग विभाग) की वेबसाइट्स पर दिया गया था। तथापि, किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाया गया था। इसी बीच, लेखा नियंत्रक, भारी उद्योग विभाग को 01 अप्रैल, 2016 तक निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), नेटिस के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।

(ग): विगत दो वर्षों के दौरान नेट्रिप को अनुदान के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	स्वीकृति आदेश और तारीख	अनुदान राशि
1	सं.2(1)/2013-नेटिस दिनांक 13.06.2014	₹100.00 करोड़
2	सं.2(1)/2013-नेटिस दिनांक 28.10.2014	₹141.91 करोड़
3	सं.2(2)/2015-नेटिस दिनांक 02.09.2016	₹ 75.00 करोड़

(घ): इन निधियों के उपयोग में अनियमितताओं के बारे में भारी उद्योग विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****